

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6, 7 जा.दी.)

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

श्री रवीन्द्र कुमार मेघवाल आई.ए.एस., सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

प्रकरण सं. 36/2025

वादपत्र धारा 53 आर.टी.एक्ट. 1955

1- राजमल उर्फ राजु पिता वरदा गुर्जर नि. सांगरिया तह. बड़ीसादड़ी

—वादी

बनाम

- 1- गुलाबीबाई पत्नी रामा गुर्जर नि. सांगरिया तह. बड़ीसादड़ी
- 2- रोड़ीलाल पुत्र रामा गुर्जर नि. सांगरिया तह. बड़ीसादड़ी
- 3- श्रीलाल पुत्र रामा गुर्जर नि. सांगरिया तह. बड़ीसादड़ी
- 4- भूमिधारी तहसीलदार बड़ीसादड़ी

—प्रतिवादीगण

यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और आदेश डिक्री दी जाती है कि —
मौजा सांगरिया पटवार हल्का सांगरिया की आराजीयात का विभाजन निम्न प्रकार पक्षकारान के मध्य किया जाता है।

1- राजमल उर्फ राजु पिता वरदा गुर्जर सा. देह. पेटा वागन बांध डूब आराजी नं. 847/2, 848/2

आ. नं.	रकबा	लगान
776/2	0.20	6.60
847/2	0.15	1.95
848/2	0.30	3.90
कुल 3	0.65	12.45

2- श्रीलाल रोड़ीलाल पिता रामा 4/5 गुलाबी बाई पत्नी रामा 1/5 गुर्जर सा. देह. पेटा वागन बांध डूब आ.नं. 847/1, 847/3, 848/1, रहन एस.बी.आई शाखा बड़ीसादड़ी हिस्सा रोड़ीलाल पर रहन आई.सी.आई.सी.आई बैंक शाखा बड़ीसादड़ी हिस्सा श्रीलाल पर

आ. नं.	रकबा	लगान
776/1	0.20	6.60
847/1	0.21	2.73
847/3	0.09	1.17
848/1	0.15	1.95
कुल 4	0.65	12.45

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।

इस वाद के खर्चे... प्रतिशत प्रतिवर्ष की दरा से ब्याज सहीत... को दी जावे। यह आज दिनांक 12.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।



रवीन्द्र कुमार मेघवाल (आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
बड़ीसादड़ी

न्यायालय सहायक कलक्टर, बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़

क्रमांक : राजस्व/2026/ 4

दिनांक : 12/01/2026

मूल ही तहसीलदार बड़ीसादड़ी को भेज कर लेख है कि उपरोक्तानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवायें।



सहायक कलक्टर
बड़ीसादड़ी

निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

श्री रवीन्द्र कुमार मेघवाल आई.ए.एस., सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

प्रकरण सं. 36/2025

वादपत्र धारा 53 आर.टी.एक्ट. 1955

1- राजमल उर्फ राजु पिता वरदा गुर्जर नि. सांगरिया तह. बड़ीसादड़ी

—वादी

बनाम

- 1- गुलाबीबाई पत्नी रामा गुर्जर नि. सांगरिया तह. बड़ीसादड़ी
- 2- रोड़ीलाल पुत्र रामा गुर्जर नि. सांगरिया तह. बड़ीसादड़ी
- 3- श्रीलाल पुत्र रामा गुर्जर नि. सांगरिया तह. बड़ीसादड़ी
- 4- भूमिधारी तहसीलदार बड़ीसादड़ी

—प्रतिवादीगण

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार बड़ीसादड़ी के द्वारा फर्द बटवाड़ा प्राप्त हो चुका है। माफिक फर्द बटवाड़ा वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है। आदेश दिया जाता है कि और आदेश डिक्री दी जाती है कि —
मौजा सांगरिया पटवार हल्का सांगरिया की आराजीयात का विभाजन निम्न प्रकार पक्षकारान के मध्य किया जाता है।

आ. नं.	रकबा	लगान
776/2	0.20	6.60
847/2	0.15	1.95
848/2	0.30	3.90
कुल 3	0.65	12.45


2- श्रीलाल रोड़ीलाल पिता रामा 4/5 गुलाबी बाई पत्नी रामा 1/5 गुर्जर सा. देह. पेटा वागन बांध डुब आ.नं. 847/1, 847/3, 848/1, रहन एस.बी.आई शाखा बड़ीसादड़ी हिस्सा रोड़ीलाल पर रहन आई.सी.आई.सी.आई वैंक शाखा बड़ीसादड़ी हिस्सा श्रीलाल पर

आ. नं.	रकबा	लगान
776/1	0.20	6.60
847/1	0.21	2.73
847/3	0.09	1.17
848/1	0.15	1.95
कुल 4	0.65	12.45

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री बनायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.01.2026 को सरे ईजलास में सुनाया गया।




रवीन्द्र कुमार मेघवाल (आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
बड़ीसादड़ी